

- |   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| (8) धारा- 63 के अधीन कथन।   | तीस रूपये।   | (8) धारा 63 के अधीन कथन फर्म में तब्दीलियों और उसके विघटन हेतु।          | एक सौ पचास रूपये।              |
| (9) धारा- 64 के अधीन कथन।   | तीस रूपये।   | (9) धारा 64 के अधीन कथन भूलों में परिशोधन के लिए।                        | एक सौ पचास रूपये।              |
| (10) धारा- 65 की उपधारा-1 के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण।        | दस रूपये   | (10) धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण।        | एक सौ रूपये।                   |
| (11) धारा- 66 की उपधारा-2 के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण। | एक फर्म से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए दस रूपये। | (11) धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण। | दो सौ रूपये।                   |
| (12) फर्मों के रजिस्टर से प्रतियां।                                     | प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए चार रूपये।                      | (12) फर्मों के रजिस्टर से प्रतियां।                                      | प्रति पृष्ठ के लिये साठ रूपये। |

आज्ञा से,  
राधा रतूड़ी,  
प्रमुख सचिव।